(4) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 236 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय का प्रावधान किया गया है ताकि इन परियोजनाओं को अगले दो वर्षों में पूरा किया जा सके।

(5) विशेष योजनाओं के जरिए चारे तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना।

किसानों के लिये सस्ते उपकरण

1477. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि आधुनिक यंत्रों का ट्रैक्टर, नलकूप, स्प्रेयर आदि का लाभ बड़े-मध्यम किसान ही उठा रहे हैं, छोटे और सीमान्त किसान नहीं इसलिये ऐसे यंत्र विकसित किये जायें जो सस्ता, अच्छा उपयोगी हो तो वे इसके लिए क्या कर रही है ; और

(ख) सीमान्त और छोटे किसान को जितना लाभ भारत सरकार की योजना देना चाहती थी वह नहीं संभव हो सका तो इस पर आगे क्या विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलाप करती है।

(ख) जी, नहीं।

अनुसंधान को अनुसंधान शाला से खेत तक ले जाने के कार्यक्रम का मूल्यांकन

1478. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री 27 फरवरी, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 397 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान शाला से खेत (लैब टु लैंड) योजना की प्रगति क्या है तथा इसका राज्यवार ब्यौरा बनाया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर इसका मूल्यांकन कराएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाये गये छह परिवारों का विवरण विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये)।

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषिहीन खेतीहर मजदूरों के बीच कम लागत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रचार करना है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम में सम्मिलित क्षेत्रों में किसानों द्वारा फसलों की सुधरी किस्मों के अपनाने से 50% से 100 प्रतिशत तक सार्थक रूप से उपज में बढ़ोत्तरी की गई है। फसलों की सघनता इन्हीं क्षेत्रों में 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी। समूचे देश में तिलहनों और दालों के उत्पादन पर और पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। पशुधन उत्पादन के मामले में, विशेष रूप से कृषिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए, औसत से रु० 500 से 1000/- प्रति वर्ष प्रति परिवार अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। अपनाये गये कृषक परिवारों और कृषिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और क्षेत्र दिवसों के आयोजन किये गये।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फरवरी, 1984 में गठित एक समिति द्वारा इस कार्यक्रम का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है।